अपमा®

AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION (Regd.)

Estd. 1965

WWW.APMA.IN

सरकूलर नं0 अपमा/2016–2018/321 दिनांक : 13–10–2018

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि बुद्धवार दिनांक 10–10–2018 को डिप्टी कमिश्नर(ट्रैफिक) श्री ए. कौन जी ने ''ट्रैफिक की चर्चा के विषय में अपने कार्यालय तारा चन्द मथूरा मार्ग, ओल्ड पुलिस लाईन पर एक बैठक का आयोजन किया। डिप्टी कमिश्नर (ट्रैफिक) श्री ए. कौन जी ने बैठक में उपस्थित सहायक श्रीमती नेती कश्यप जी, कश्मीरी गेट थानाध्यक्ष श्री देवेन्दर सिंह जी, सब–इंस्पैक्टर श्री चन्दर कुमार सिंह जी के साथ नोर्थ रेलवे एवं दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के साथ अपमा के उप प्रधान श्री ए.एस. नैय्यर जी, महासचिव श्री विष्णु भार्गव जी, कोषाध्यक्ष श्री विनय नारंग जी, 'कर' उपसमिति के कन्वीनर श्री सुभाष चन्दर बजाज जी एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेन्दर श्रीवास्तव (डी.पी)जी दिल्लो की अन्य व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से परिचय करवाया।

डिप्टी कमिश्नर(ट्रैफिक) श्री ए. कौन जी ने कहा कि कश्मीरी गेट का ट्रैफिक का बिना किसी रूकावट एवं सुचारू रूप चलता रहें है इसके लिए हेमिल्टन रोड से मोरी गेट रोड को वनवे किये जाने की योजना है। इस पर अपमा प्रतिनिधिमण्डल ने सुझाव दिया कि यदि हेमिल्टन रोड से मोरी गेट रोड को वनवे किया जाता है तो इसके कारण व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामाना करना पड़ेगा और इससे ट्रैफिक जाम की समस्या और बढ़ जाऐगी, इसलिए यदि वनवे करना है तो बड़ा बाजार से लेकर जी.पी.ओ. तक वनवे किया जाना चाहिए। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय जी के ट्रैफिक जमा की शिकायते मिली है उसके बाद उनके आदेशानुसार सड़क पर खड़े वाहनों को क्रेन से उठा लिया जाऐगा और वाहनों के वजन के हिसाब से उनका चालान भी काटा जाऐगा। अतः व्यापारी अपने वाहनों को पार्किंग में ही खड़ा करें। इस पर अपमा प्रतिनिधिमण्डल ने अनुरोध किया कि वाहनों को खड़ा करने जल्द से जल्द पार्किंग की व्यवस्था करवायी जाएं।

बैठक में डिप्टी कमिश्नर(ट्रैफिक) ने व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल को बताया कि जोरावर सिंह मार्ग(हेमिल्टन रोड) पर यातायात व्यवस्था को बनाने के लिए **दिनांक <u>13 अक्टूबर 2018</u> <u>से प्रति दिन सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक एक तरफा यातायात व्यवस्था ONE WAY TRAFFIC CIRCULATION)</u>** को परीक्षण **<u>(Trial basis)</u>** के तौर पर लागू किया जाना है। इस मार्ग पर यातायात केवल मोरी गेट से **GPO** जाने के लिए अनुमत होगा। **GPO** से मोरी गेट पुल डफरिन या अन्य स्थानों के लिए वैकल्पिक मार्गो का प्रयोग किया जा सकता है। अतः आप सभी व्यापारी भाईयों से अनुरोध कि अपने वाहनों को पार्किंग खड़ा करें।

कृ0प0उ............2

सरकूलर नं0 अपमा/2016–2018/322

"सार्वजनिक सूचना"

सामान्य व्यापार/भंडारण लाईसेंस (जनरल ट्रेड / स्टोरेज लाईसेंस)

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North Delhi Municipal Corporation) ने दिनांक 6–10–2018 को दैनिक जागरण अखबार के माध्यम से सूचना प्रकाशित की है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थित प्रत्येक दुकान और गोदाम को म्यूनिसिपल लाइसेंस, जिसे सामान्य व्यापार / भंडारण लाइसेंस(जीटीएल) कहा जाता है, लेना अपेक्षित है, जिसे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी छह जोनल कार्यालयों में स्थित नागरिक सेवा ब्यूरो या प्राधिकृत एजेंसी (मैसर्स एम.आर. एसोसिएट्स) के माध्यम से कुछ सरल दस्तावेज और आवश्यक फीस का भुगतान करके प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में कई दुकानें और गोदाम बिना लाइसेंस के चल रहें हैं। ऐसी सभी बिना लाईसेंस वाली दुकानों को 05/11/2018 के बाद सील कर दिया जाएगा। अतः सभी दुकान के मालिकों को उत्तरी दिल्ली नगर निगम की प्राधिकृत एजेंसी के माध्यम या जोन में सीएसबी सेंटर से 05/11/2018 से पहले सामान्य व्यापार/भंडारण लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। उक्त हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पोर्टल का पता निम्नलिखित है :–http://111.93.47.72/csbndmc/gtl/online_gtlregistration.php

---

सरकूलर नं0: अपमा/2016–2018/323

"सावधान" "सावधान" "सावधान"

दिल्ली की कानून व्यवस्था व सुरक्षा की दृष्टि से आपको सूचित कर रहे हैं कि स्थानीय कश्मीरी गेट व मोरी गेट बाजार की सुरक्षा का दायित्व हम सभी पर निर्भर करता है। कुछ असामाजिक तत्व व आतंकवादी संगठन कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की योजना बना सकते हैं। आपकी जरा सी लापरवाही आपके पड़ौसियों के लिए जानलेवा हो सकती है। पुलिस विभाग को तरफ से कुछ हिदायतें जारी की गई हैं, जिनका पालन करना सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यापारियों के लिए हितकर होगा।

- ☞ यदि कोई व्यक्ति लावारिस सामान रखता है तो उसकी सूचना तुरन्त पुलिस को दी जाये।
- ☞ किसी भी तरह के लावारिस पड़े माल को हाथ न लगायें, उसे छुऐं नहीं, उससे दूर रहें और इस तरह के सामान को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति को पकड़वाने में पुलिस की मदद करें।
- ☞ आप अपनी दुकान के आगे पेटियां या अन्य सामान न रखें ना किसी को रखने दें, हो सकता है कोई इनमें विस्फोटक पदार्थ छुपा दें।
- ☞ किसी भी अनजान व्यक्ति के सामान की जिम्मेदारी न लें, उसमें बम हो सकता है।
- ☞ अपनी दुकान के सामने वाहन खड़ा न करें और न किसी को वाहन खड़ा करने दें।
- ☞ आपकी सतर्कता और आपकी सूचना किसी भी बड़ी दुर्घटना को रोक सकती है। अपना और अपने पड़ौसियों का ध्यान रखें।
- ☞ यदि कोई भी वाहन लावारिस दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरन्त पी.सी.आर. वैन अथवा 100 नम्बर पर या टेलीफोन नम्बर 23968730, पर थाना कश्मोरी गेट, से सम्पर्क करें।

(आर.के. गुप्ता)
प्रधान